IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग
नीलगिरी काम्पलैक्स द्वितीय तल,
इन्दिरा नगर, लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

Bureau of Indian Standards SQMS

संख्या 750 **/नि0सं0 01/16–17 /** **दिनांक** 24/3/2017

स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

श्री अशोक कुमार गर्ग
निदेशक मैसर्स ए0जी0एम0 कालोनाइजर्स एवं डेवलपर्स प्रा0लि0
37 छिपी टैंक, मेरठ।

विषय :– खसरा सं0 222(पाट), 223(पाट) व 224 (क्षेत्रफल 13030.00 वर्ग मी0)सराय काजी मेरठ हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन के सम्बन्ध में प्रश्नगत भूमि हेतु समायोजन सम्बन्धी ले–आउट प्लान यथा अनुमोदित दिनांक 14–3–2017 के अनुक्रम में इकाई के पत्रांक 681 दि0 20.03.2017 के संदर्भ में तलपट मानचित्र स्वीकृति हेतु वॉछित औपचारिकतायें पूर्ण कराने के उपरान्त एतदद्वारा निम्नाकिंत शर्तो सहित ले आउट मानचित्र एतदद्वारा स्वीकृत किया जाता है :

1. स्वीकृत तलपट मानचित्र की अवधि नियमतः 05 वर्ष होगी (दि0 24/3/17 से 23/3/2022 दिनांक तक) स्वीकृत मानचित्र की 01 प्रति संलग्न है।
2. कार्यस्थल पर स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
3. स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कोई भी निर्माण अथवा इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट प्रारम्भ करने से पूर्व सूचना सम्बन्धित अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड–8,उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ के कार्य प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि निर्माण के दौरान सामाग्री संचय के कारण यातायात हेतु निर्धारित मार्ग बाधित नही होगा इसके अतिरिक्त निर्माण अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट आदि का निर्माण) से सम्बन्धित कियाये जैसे मसाला बनाना, सीवर पाईप/वाटर पाईप इत्यादि का कार्य सार्वजनिक सड़क पर नहीं किया जायेगा।
5. शासनादेश के अनुसार 125 पेड़ प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्षारोपण करना होगा।
6. समय–समय पर शासन द्वारा किये गये निर्देष मान्य होंगे।
7. भविष्य में यद्रि आवंटी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व प्रपत्रो,मानचित्र सम्बन्धित अन्य प्रपत्रो तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि असत्य पाये जाने की दशा में तलपट मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
8. स्वीकृत ले–आउट प्लान के अनुसार भविष्य में यदि परिषद की अपनी योजना में इन्फास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज के प्राविधान हेतु ले–आउट के किसी भी भाग का उपयोग करने की आवश्यकता होगी तो उसे आवंटी द्वारा बिना किसी व्यय व आपत्ति के उपलब्ध कराया जायेगा।
9. भविष्य में यदि आवंटी द्वारा अपने ले–आउट के इन्फास्ट्रक्चर सर्विसेज प्राविधान हेतु परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज का प्रयोग/संयोजन किये जाने से पूर्व परिषद नियमान्नुसार शुल्क का भुगतान किया जाना होगा।
10. तलपट मानचित्र के सभी भूखण्डों हेतु मानचित्र स्वीकृति में उपविधि 2008 यथा संशोधित 2016 के नियम लागू होगें तथा नियमानुसार सभी शुल्क तत्समय की दरो के अनुसार देय होंगे।

कमशः––2

11. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।

12. इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधायें जैसे पानी , सीवर, वेस्ट डिसपोजल, बिजली आदि का प्राविधान आवंटी को स्वयं करना होगा ।

13. प्रश्नगत प्रकरण में परिषद द्वारा अन्तिम भूमि दर के निर्धारण के अनुसार आसुधार शुल्क की किश्तों का नियमतः भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा। अन्तिम दर में बढ़ोत्तरी एवं घटौती की स्थिति में अवशेष धनराशि का भुगतान सम्बन्धित पक्ष द्वारा किया जायेगा तथा डिफाल्ट की स्थिति में आवंटी से नियमानुसार दण्ड ब्याज लिया जायेगा।

14. सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड–8 के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्थल पर स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार ही विकास कार्य किये जा रहे हैं।

संलग्नकः 1. पार्ट ले–आउट मानचित्र की एक प्रति

मुख्य वास्तुविद नियोजक/विशेषकार्याधिकारी

पृ0सं0: /उक्त/ दिनांकः

प्रतिलिपिः

1. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद,शास्त्रीनगर, मेरठ।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–8 उ0प्र0 आवास विकास परिषद,शास्त्रीनगर, मेरठ को स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्रीनगर, मेरठ को उनके पत्रांक 1224/सं0प्र0 मेरठ दिनांक 09–3–17 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं बिन्दु सं0–12 का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।

मुख्य वास्तुविद नियोजक/विशेषकार्याधिकारी